न्यायालय, मुंसिफ, अनु0 व्यवहार न्यायालय डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–153 / 1994

अशोक कुमार – वादी

बनाम्

सुभाष प्रसाद अन्य– प्रतिवादी

आदेश

25.01.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। निवेदिका उर्मिला गुप्ता पिता स्व0 भरत साह द्वारा आदेश–1 नियम–10(ii) एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक–19.09.2022 को दिया है और कथन किया है कि निवेदिका वादी अशोक कुमार एवं प्रतिवादी सुभाष प्रसाद की सगी बहन है। वादग्रस्त संपत्ति निवेदिका के पूर्वज के नाम से दर्ज है जिसमें निवेदिका का भी हित निहित है। वादी के द्वारा यह वाद एकरारनामा दिनांक–20.11.1992 को जाली एवं धोखधड़ी बनाए जाने के कारण शून्य घोषित कराने के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सुभाष प्रसाद के लिखित कथन के पारा–5 में सही रूप से यह तथ्य वर्णित किया गया है कि स्व0 भरत साह को उर्मिला देवी सहित तीन लड़कियॉ भी है जिसमें स्व0 भरत साह की संपत्ति हेतु किया गया एकरारनामा मात्र वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अन्य वारिसों के हक को हड़पने हेतु वाद पत्र में सुलह के आधार पर शून्य घोषित कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में समझौता डिक्री पारित की जाती है तो उससे वाद वृद्धि एवं निवेदिका को अपूरणीय क्षति होगी। निवेदिका के द्वारा पूर्व में दिनांक–05.09.2022 को पक्षकार बनाये जाने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया था जो बिना गुण–दोष के खारिज किया जा चुका है। निवेदिका एक लकवाग्रस्त महिला है जो चलने–फिरने में लाचार है इसी कारण वह पूर्व आवेदन को प्रचालित नहीं करा सकी और आवेदन प्रचालित न करने के आधार पर खारिज हो गया। निवेदिका को यदि इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

प्रतिवादी के द्वारा उक्त आवेदन दिनांक–19.09.2022 का प्रतिउत्तर दिनांक–20.01.2023 को दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी की ओर से कथन किया गया है कि आवेदिका को वाद में पक्षकार बनाने हेतु दिया गया आवेदन पोषणीय नहीं है

और मात्र वाद को बिलंब कारित करने के आशय से दाखिल किया गया है। वाद में एकरारनामा दिनांक–20.11.1992 जो वादी एवं प्रतिवादी के बीच हुआ था उसे गलत एवं अवैध घोषित करने के लिए किया गया है जिसमें एकमात्र प्रतिवादी ही आवश्यक पक्षकार है अन्य कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। जिसके चलते उर्मिला गुप्ता को पक्षकार बनाना कानूनन गलत है। यह वाद एकरारनामा को शून्य घोषित कराने के अनुतोष के लिए सुलहनामा के आधार पर अन्तिम बहस एवं निष्पादन हेतु नियत था। उर्मिला गुप्ता के द्वारा पक्षकार बनाने हेतु दिया गया पूर्व आवेदन दिनांक–26.05.2022 विधिक तौर पर दिनांक–05.09.2022 को खारिज हुआ है और उसे पुनः वही आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आवेदन में उर्मिला गुप्ता ने अपना शपथ पत्र नहीं दिया है। आवेदन के साथ रमेन्द्र कुमार द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। रमेन्द्र कुमार ही इस वाद का निष्पादन नहीं होने देना चाहते हैं। यह वाद 1994 में दाखिल किया गया था और वादी प्रतिवादी के मध्य हुए एकरारनामा के बारे में आवेदिका उर्मिला गुप्ता को जानकारी थी परन्तु उन्होंने पक्षकार बनाने हेतु आवेदन 2022 में दाखिल किया है और एकरारनामा भी उर्मिला गुप्ता के समक्ष ही तैयार हुआ था और वह उर्मिला गुप्ता के पास ही था। वर्ष 1994 में उर्मिला गुप्ता को बताया गया था कि वाद संख्या–153/1994 में एकरारनामा दाखिल करना है तो उन्होंने ही यह एकरारनामा दाखिल करने हेतु दिया था। रमेन्द्र कुमार ने दिनांक–15.09.2022 को किस हैसियत से आवेदन के समर्थन में अपना आवेदन पत्र दिया है। अतः इस आधार पर भी आवेदन को बिना शपथ पत्र के बना मान कर खारिज किये जाने योग्य है। रमेन्द्र कुमार ने उर्मिला गुप्ता का जाली हस्ताक्षर बनाकर शपथ पत्र दाखिल किया है और जब तक उर्मिला गुप्ता न्यायालय में उपस्थित होकर यह नहीं कहती कि यह उनका हस्ताक्षर है तब तक उनका आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। अतः आवेदिका उर्मिला गुप्ता के आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं आवेदन एवं प्रतिउत्तर में वर्णित तथ्यों व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादी एवं

प्रतिवादी दोनों सगे भाई है और आवेदिका उर्मिला गुप्ता उनकी सगी बहन है जो विधिक तौर पर उक्त वाद में अपना हित रखती है। यह भी स्पष्ट होता हे कि द्वारा दिया गया पूर्व आवेदन आवेदिका द्वारा प्रचालित न करने के आधार पर खारिज हुआ था। वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा जिस एकरारनामा को शून्य घोषित कराने के लिए यह वाद दाखिल किया गया था उसमें उन दोनों के समझौता कर लेने पर उर्मिला गुप्ता सहित उन तीनों बहनों का हित भी प्रभावित होगा। प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क तो दिया गया है कि आवेदिका उर्मिला गुप्ता को पूर्व से ही मुकदमे एवं तथ्यों की जानकारी थी लेकिन वे उस समय इस वाद में पक्षकार नहीं बनी परन्तु प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह नहीं बताया गया है कि उक्त वाद में समझौता आवेदन कब दिया गया और समझौता आवेदन की जानकारी आवेदिका उर्मिला गुप्ता को कब हुई। ऐसी कोई विधिक बाध्यता नहीं है कि किसी वाद में हित रखनेवाले पक्षकार को एक समय विशेष पर ही पक्षकार बनने हेतु आवेदन देना आवश्यक है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वाद में बिलंब कारित होने का जो तर्क दिया है वह तो सत्य प्रतीत हाता है लेकिन मात्र किसी तुच्छ प्रकियात्म त्रुटि या बिलंब के आधार पर किसी पक्षकार के विधिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाए जाने से वाद बाहुल्यता एवं उसको अपूरणीय क्षति होने की भी संभावना है।

अतः आवेदिका के विधिक अधिकारों के संरक्षण एवं वाद बाहुल्यता को रोकने हेतु आवेदिका के आवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है और आवेदिका को उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाता है।

वाद दिनांक–..... वास्ते आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु।

लेखापित

Sd/-

मुंसिफ, डुमरॉव